न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00422/2016/223

सीता देवी पत्नि महावीर प्रसाद (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. दुर्गा देवी पुत्री महावीर प्रसाद,
2. रम्मू उर्फ रमाकान्त पुत्र महावीर,
3. सुशीला पुत्री महावीर,

जाति ब्राह्मण, निवासी नरसिंहपुरा, अजमेर रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रीखबदास, जाति वैष्णव, निवासी नरसिंहपुरा अजमेर रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

3. नेमीचन्द पुत्र महावीर,
4. प्रेम पुत्री महावीर,
5. पुष्पा पुत्री महावीर,
6. दौलत पुत्री महावीर,

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी नरसिंहपुरा अजमेर रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक (21.9.2016) 22.9.2016 अंतर्गत वाद संख्या 63/2003.

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री नरपत भाकल, वकील रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक (21.9.2016) 22.9.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादिया/अपीलांट सीतादेवी ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 183 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नरसिंहपुरा तहसील ब्यावर में खाता संख्या 268 पुराने 202 नये के खसरा संख्या 329 रकबा 4 बीघा भूमि अवस्थित है । उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादिया प्रारंभ से काबिज काश्त चली आ रही है तथा वादिया पिछले कई वर्षो से सब्जियां

उगाती चली आ रही है तथा इस वर्ष भी वादिया ने उक्त आराजी पर सब्जियां उगाई है । वादिया दिनांक 20.9.2003 को तीर्थ यात्रा पर गई थी तथा दिनांक 23.10.2003 को वापिस आई थी । इस कारण वादिया दिनांक 20.9.2003 से 23.10.2003 के मध्य ब्यावर नहीं थी, जिसका फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 वादिया की बोई हुई फसल को नष्ट कर दिया तथा मकान के दरवाजे व खिड़कियां भी निकाल दी तथा एक अनाधिकृत रूप से नया कमरा बना लिया जिसका वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से विरोध किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 झगड़ा करने पर आमादा हो गया तथा वादिया को धमकी दी कि मौका मिलते ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लेगा जिसकी शिकायत वादिया ने पुलिस थाना, ब्यावर में दिनांक 23.10.2003 को दर्ज करवाई है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया तथा स्वंय को खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक (21.9.2016) 22.9.2016 द्वारा वादीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 से 3 का निस्तारण एक साथ करते हुए सन् फसली 1350 जिसमें वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा संख्या 282 थे, जिसमें महावीर पुत्र गंगादास के नाम खातेदारी दर्ज थी जिसका समाधान होने के उपरांत भी मात्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को इस तनकी का निस्तारण करते समय अंकित कर जो निर्णय पारित किया है वह पूर्णतया विधि विरूद्ध है । वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में लागू की गई थी तथा वाद वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया गया है । संवत् 2041 वर्ष 1984–85 में था, अर्थात् वाद प्रस्तुति के लगभग 20 वर्ष तक जो अभिलेख प्रचलन में था वह प्रतिवादी संख्या 1 की जानकारी में था, तथा खसरा नंबर 229 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक नहीं था । फसली 1350 के उपरांत बनाये गये राजस्व अभिलेख में जो त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि थी वह सन् फसली 1360–61 में हुक्म संख्या 2 दिनांक 26.8.1954 को दुरूस्त किये जाने बाबत् आदेश किये जा चुके थे जिसकी पालना में अभिलेखों में अंकन भी किया जा चुका था । उक्त दस्तावेज प्रदर्श–2 पत्रावली पर उपलब्ध भी है परन्तु अधी0न्याया0 ने जानबूझकर उक्त सारवान दस्तावेज को नजरअंदाज किया है जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 1954 में भी दुरूस्ती बाबत् आदेश पारित किये जा चुके थे तथा पश्चात्वर्ती अभिलेखों में भी दुरूस्ती के पश्चात् वांछित अंकन राजस्व कर्मचारियों द्वारा अभिलेखों में नहीं किया गया तो इससे कोई नया अधिकार पुनः प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त नहीं होता है । सवंत् 2041 में बनाये गये अभिलेख मे समुचित इंद्राज कर दिये जाने पर उक्त विधि सम्मत प्रविष्टि को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत किया जाना किसी भी प्रकार से विधिपूर्ण नहीं था क्योंकि वर्ष 1954 में ही जो आदेश पारित किये गये थे वह अंतिम हो चुके थे । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 से 3 का निस्तारण सारवान दस्तावेज को नजरअंदाज कर पारित करने में त्रुटि कारित की है । तनकी संख्या 5 का निर्णय करते समय अधी0न्याया0 ने मात्र संवत् 2018 से 2021 की जमाबंदी पर

ही अपना ध्यान केन्द्रित किया है । सवंत् 2018 अर्थात् वर्ष 1961–62 से पूर्व सन् 1954 में जो तत्समय प्रचलित विधि के तहत दुरूस्ती बाबत् आदेश पारित किया था उसे नजरअंदाज कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 8 ने बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादिया द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद इन कथनों के आधार पर पेश किया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 329 रकबा 4 बिस्वा किस्म बा–2 वादिया के तन्हा खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रारंभ से वादिया काबिज काश्त चली आ रही है । वादिया सपरिवार दिनांक 20.9.2003 को तीर्थयात्रा पर गयी थी ओर तीर्थ यात्रा से दिनांक 23.10.2003 को वापिस आई । इस अवधि में वादिया की अनुपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 ने बदनियतिपूर्वक वादपत्र में दर्शाये अनुसार मार्क एक्स स्थान पर अपने मकान का दरवाजा वादग्रस्त भूमि में निकाल लिया है तथा दक्षिणी भाग की ओर फसल नष्ट कर मार्क ए. बी.सी.डी. एक कमरा 12X12 फीट का तथा मार्क ई.एफ.जी.एच. स्थान पर 8X4 फीट में लेटरिन बाथरूम अनाधिकृत रूप से बना लिया है । उक्त वाद पेश होने के उपरांत अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा तथा काउन्टर क्लेम पेश किया जिस पर अधी0न्याया0 ने वाद में आवश्क तनकियात कायम वादिया का वाद निरस्त करते हुए प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने की डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने वादिया का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 प्रदर्श ए 5 व जमाबंदी संवत् 2024 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 282 में प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज रीखबदास मुतबन्ना जग्गननाथ नाबालिग बसरबराही रामचन्द्र वाल्दे खुद एवं साधु साकिन देह हिस्सा 1 व वादिया के पति महावीर वल्द गंगादास कौम साधु साकिन देह हिस्सा 1 व रामचन्द्र मुतबन्ना पूरणदास हिस्सा 1 का इंद्राजात होना पाया जाता है तथा अंतिम चौसाला जमाबंदी के पश्चात् बनी वर्किंग जमाबंदी में श्रीमती सीता देवी जोजे महावीर प्रसाद साकिन देह का नाम होना पाया जाता है । वादिया द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य छुपाकर वाद पेश किया जाना प्रतीत होता है तथा अंतिम चौसाला जमाबंदी में तीन खातेदार दर्ज होना पाया जाता है एवं सेटलमेंट के पश्चात् बनी जमाबंदी में अकेली वादिया का नाम दर्ज होना पाया जाता है जो कि संदेहास्पद स्थिति प्रकट करती है । अपीलांट का कथन है कि खसरा संख्या 229 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है । 1350 फसली सन् के उपरांत बनाये गये राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि थी जिसे सन् फसली 1360–61 में हुक्म संख्या 2 दिनांक 26.8.1954 को दुरूस्त किये जाने बाबत् आदेश किये जा चुके थे जिसकी पालना में अभिलेखों में अंकन भी किया गया जा चुका था तथा उक्त दस्तावेज प्रदर्श–2 पत्रावली पर उपलब्ध है किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रदर्श–2 को नजरअंदाज कर तनकी संख्या 1 से 3 का निर्णय विधिविरूद्ध रूप से पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध पृष्ठ संख्या 74 पर उपलब्ध एक्जी0 2 सन् फसली 1960–1961 का अवलोकन किया गया । उक्त सन्फसली के हिस्सा 1 में विवादित आराजी के साबिक खसरा नंबर 282 रकबा 4 बिस्वा के खातेदार रिखबदास वगैर हिस्सा 1, मु0 नाराणी हिस्सा

1 एव रामचन्द्र वगैरह हिस्सा 1 दर्ज है । इसी फसली के हिस्सा 2 में खसरा नंबर 282 रकबा 4 बिस्वा के रिखबदास वगै0 1 हिस्सा, फौती महावीर खाते नाराणी एक हिस्सा, रामचन्द्र वगै0 खाते एक हिस्सा दर्ज है । इस फसली के हिस्सा 3 में हुक्म नंबर 2 दिनांक 26.8.1954 के अनुसार हिस्सा 3 में विवादित आराजी 282 रकबा 4 बिस्वा महावीर वल्द गंगादास कौम साधू साकिन देह का इंद्राज है । साबिक खसरा नंबर 282 रकबा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 329 रकबा 4 बिस्वा बने है। जमाबंदी खतौनी प्रदर्श–7 के अनुसार खसरा नंबर 329 रकबा 4 बिस्वा श्रीमती सीतादेवी जोजे महावीर प्रसाद के नाम दर्ज है । जमाबंदी खतौनी संवत 2042 से 2045, 2052 से 2055 में भी विवादित आराजी खसरा नंबर 329 रकबा 4 बिस्वा सीतादेवी जोजे महावीर प्रसाद के नाम खातेदारी से दर्ज है । अपीलांट/वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एक्जी0 2 सन् फसली 1960–1961 साक्ष्य में पेश की गई थी किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय व डिक्री इस संबंध में कोई विवेचन, विश्लेषण नही किया गया है जबकि अपील में अपीलांट का मुख्य कथन यही है कि फसली 1350 के उपरांत बनाये गये राजस्व अभिलेख में जो त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि थी वह सन् फसली 1360–61 में हुक्म संख्या 2 दिनांक 26.8.1954 को दुरूस्त किये जाने बाबत् आदेश किये जा चुके थे जिसकी पालना में अभिलेखों में अंकन भी किया जा चुका था । उक्त दस्तावेज प्रदर्श–2 पत्रावली पर उपलब्ध भी है परन्तु अधी0न्याया0 ने जानबूझकर उक्त सारवान दस्तावेज को नजरअंदाज किया है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का निर्णय व डिक्री विस्तृत विवेचन, विश्लेषण किया बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादिया का वाद खारिज करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर वाद स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक (21.9.2016) 22.9.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद एव प्रतिवादपत्र को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर